the Ministry and its associated offices.

— Scientific posts (Gr. A level) were excluded from the purview of UPSC.

— Fresh Recruitment Rules were framed in September, 1987, for scientific posts providing also for promotion to higher grades on the basis of periodic review/assessment under the Flexible Complementing Scheme.

— Scientific/technical posts at Gr. B/Gr. C level need restructuring in line with those for Gr. A level.

Steps have been intiated to fill up the posts.

न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग

2793. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'क' क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को अपनी भाषा में बिना किसी देरी के न्याय दिलाने की कोई योजना है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों के नाम क्या हैं जहां राजभाषा हिन्दी में निर्णय दिए जाते हैं ; और

(ग) हिन्दी भाषी राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दायर की गई अपीलों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा हिन्दी में निर्णय सुनाए जाने के लिए क्या प्रबंध किए गए है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 345 में यह कहा गया है कि किसी राज्य की विधान सभा उस राज्य में सरकारी प्रयोजनों के लिए उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा या हिन्दी का प्रयोग करने के बारे में कानून द्वारा प्रावधान कर सकती है । इस अनुच्छेद के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा/भाषाओं के बारे में निर्णय करने के लिए राज्य सरकारें सक्षम हैं । इसके अनुसार वे ऐसे न्यायालयों में प्रादेशिक भाषा/भाषाओं के प्रयोग का प्रबन्ध कर सकती हैं । संविधान के अनुच्छेद 348 (2) तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के अनुसार राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में या उच्च न्यायालय द्वारा किए गए अथवा पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री, आदेश के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी अथवा उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग का आदेश दे सकती है । इस विषय में कारवाई राज्य सरकारों द्वारा की जानी अपेक्षित है । उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यपालों ने इन राज्यों के उच्च न्यायालयों की कार्रवाइयों आदि में हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत कर दिया हैं ।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय की सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी में होंगी जब तक संसद, विधि द्वारा कोई अन्य उपबन्ध न कर दे । संसद द्वारा अभी तक कोई ऐसा विधेयक पारित नहीं किया गया है जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय में किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत किया जा सके ।

Flouting of norms by IDBI

2794. SHRI M. A. BABY:
SHRI SUKOMAL SEN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Industrial Development Bank of India flouted policy restrictions and norms to grant a sum of over Rs. 6.72 crores to a Gujarat mining unit in which a Central Minister and